न्यायालयः— सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :— श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 17ए / 2023
प्रकरण दर्ज तिथि :— 24.08.2023
जीसीएमएस नम्बर :— 2023 / 218

1. किशनसिंह पुत्र श्री पुकासिंह उर्फ पुखराज,, उम्र—वयस्क,
2. बुधासिंह पुत्र श्री पुकासिंह उर्फ पुखराज,, उम्र—वयस्क,
3. रूपसिंह पुत्र श्री पुकासिंह उर्फ पुखराज, उम्र—वयस्क, जातियान—रावणा राजपुत, निवासी रायपुर, तहसील रायपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. सुरेश पुत्र श्री जीवराज, उम्र—वयस्क, जाति रेगर,
2. जीवराज पुत्र श्री चुन्नीलाल, (फौत) फौत होने से उनके कायम मुकाम :—
   - 2.1 सुभाष पुत्र श्री जीवराज, उम्र—वयस्क, जाति रेगर,
   - 2.2 गीता पुत्री श्री जीवराज, उम्र—वयस्क, जाति रेगर,
   - 2.3 कौशल्या पुत्री श्री जीवराज, उम्र—वयस्क, जाति रेगर,
   - 2.4 पारी पुत्री श्री जीवराज, उम्र—वयस्क, जाति रेगर, निवासीगण रायपुर हाल निवासी ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर, राज.
3. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रायपुर

अप्रार्थीगण

राजस्व नक्शे मे तरमीन शुद्धि करने बाबत अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

उपस्थितः— 1 अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला प्रार्थी
2 सरकारी पैराकार उपस्थित

निर्णय

दिनांक :— 22.08.2024

प्रार्थी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी भुमि सरहद मौजा ग्राम मादेलाव पटवार हल्का रायपुर प्रथम भू. अभि. नि. क्षैत्र रायपुर, तहसील रायपुर के खाता सं. 80 खसरा सं. 206 रकबा 2.7114 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल आई हुई हे। उपरोक्त खातेदारी आराजी की वक्त चालु जमाबन्दी, वक्त आनलाईन राजस्व नक्शे की प्रति, वक्त सेटलमेन्ट की जमाबन्दी एवं नक्शे शीट की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग समझा जावें । उक्त आराजी को आगे विवादित आराजी के नाम से पढा जायेगा। उक्त विवादित भुमि प्रार्थीगण की खातेदारी भुमि है जो वक्त सेटलमेन्ट से तरमीन चली आ रही है जिस पर प्रार्थीगण का पुश्तैनी समय से काबिज होकर शांति पुर्वक काश्त कर रहे है। उक्त विवादित भुमि पर खातेदार का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भुमि वर्तमान राजस्व नक्शे मे तरमीन हो रखी है। परन्तु नक्शे मे वर्णित खसरा नं. का अंकन गलत किया हुआ है। ग्राम मादेलाव के खसरा सं. 206 रकबा 0.8984 हैक्टेयर भुमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भुमि है। एवं उक्त भुमि भी वक्त सेटलमेन्ट से तरमीन होकर चली आ रही है। परन्तु वक्त सेटलमेन्ट से नक्शे मे वर्णित खसरा नं. का अंकन गलत किया हुआ है। उक्त खसरा सं. 206 व 207 की वक्त सेटलमेन्ट राजस्व नक्शे मे अंकन करते समय खसरा सं. 206 का रकबा 2.7114 हैक्टैयर तरमीन हो रखा है परन्तु उसमे सेटलमेन्ट कर्मचारीयों की गलती से खसरा सं. 207 अंकन किये हुए है एवं खसरा सं. 206 के खातेदारों का वक्त सेटलमेन्ट से कब्जा चला आ रहा है। उसी प्रकार खसरा सं. 207 रकबा 0.8984 हैक्टेयर तरमीन हो रखा है परन्तु उसमे सेटलमेन्ट कर्मचारीयों की गलती से खसरा सं. 206 का अंकन हो रखा है। एवं खसरा सं. 207 के खातेदारों का वक्त से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वक्त सेटलमेन्ट मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे वाले भुमि की तरमीन के अनुसार तो की गयी परन्तु भुलवश खसरा सं. का अंकन गलत किया गया जिससे प्रार्थीगण को बहुत परेशानी हो रही है एवं भविष्य मे विवाद बढने की पुर्ण सम्भावना है। इसलिए उक्त विवाद को आगे न बढाने एवं मौके पर शांति कायम रखने हेतु उक्त राजस्व नक्शे मे वर्णित खसरा सं. का अंकन मौके पर कब्जा अनुसार एवं राजस्व नक्शे मे तरमीन रकबे अनुसार किया जाना न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र पेश की आवश्यकता हुई है। प्रार्थीगण की खातेदारी भुमि खसरा सं. 206 का राजस्व जमाबन्दी मे रकबा 2.7114 हैक्टेयर है राजस्व नक्शे मे तरमीन क्षेत्रफल का रकबा भी 2.7114 हैक्टेयर है प्रार्थीगण के पास कब्जा 2.7114 हैक्टेयर पर है परन्तु राजस्व नक्शे मे अंकित खसरा सं. 206 के स्थान पर 207 कर दिये गये, उसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:00:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

प्रकार अप्रार्थीगण की खातेदारी भुमि खसरा सं. 207 का राजस्व जमाबन्दी मे रकबा 0.8984 हैक्टेयर है राजस्व नक्शे मे तरमीन क्षेत्रफल का रकबा भी 0.8984 हैक्टेयर है प्रार्थीगण के पास कब्जा 0.8984 हैक्टेयर पर है परन्तु राजस्व नक्शे मे अंकित खसरा सं. 207 के स्थान पर 206 कर दिये गये जिससे प्रार्थीगण को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। अगर तरमीन राजस्व रेकर्ड से उल्टी रहती है तो प्रार्थीगण को भारी आर्थिक मानसिक नुकसान होगा जिसकी भरपाई किसी भी सुरत मे पूरी नहीं कि जा सकती है। मौके एवं रेकर्ड मे फर्क होने से प्रार्थीगण का ऋण लेने मे अन्य सरकारी लाभ लेने मे भारी समस्या का सामना करना पड रहा। प्रार्थीगण अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की जमीन का उपभोग उपयोग बिना किसी रोक–टोक के करते आ रहे है, प्रार्थीगण की भुमि खसरा सं. 206 की उल्टी गलत तरमीन रह जाती है तो प्रार्थीगण को असीम क्षति व भारी नुक्शान होगा, मौके पर विवाद स्थिति बनी हुई है अप्रार्थीगण गलत तरमीन का फायदा उठा कर प्रार्थीगण को बिना मतलब परेशान कर रहे है लडाई कर रहै विवाद बढा रहै अगर विवाद बढता है तो प्रार्थीगण को भारी नुकसान होने की पुर्ण सम्भावना है जिसकी क्षति पुर्ति किसी तरह सम्भवं नही होगी, तथा प्रार्थीगण अपने हितों व अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह प्रार्थना पत्र राजस्व जमाबन्दी मे दर्ज रकबे अनुसार एवं राजस्व नक्शे मे तरमीन क्षेत्रफल के अनुसार व मौका कब्जा की जाचॅ कर मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे में संसोधन करवाने हेतु माननीय न्यायालय में पेश कर रहा है।अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम मादेलाव पटवार हल्का रायपुर के खसरा सं. 206 व 207 को राजस्व जमाबन्दी अनुसार एवं मौके अनुसार वर्तमान आनलाईन राजस्व नक्शे मे तरमीन क्षेत्रफल अनुसार खसरा सं. का अंकन किया जावें अर्थात राजस्व नक्शे मे खसरा सं. 206 के स्थान पर खसरा सं. 207 व खसरा सं. 207 के स्थान पर 206 संसोधन किया जाने का आदेश प्रदान करावें जिससे प्रार्थीगण को भविष्य मे हाने वाली भारी समस्या से बचा जा सके। एवं प्रार्थीगण को न्याय मिल सके।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी गण तहसीलदार रायपुर का जबाव प्राप्त हुआ हैं जो पत्रावली संलग्न किया गया। तहसीलदार रायपुर ने अपने मौका रिपोर्ट में बताया कि ग्राम मादेलाव के खसरा संख्या 206 का रकबा 2.7114 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 207 का रकबा 0.8984 हैक्टेयर हैं। राजस्व नक्शे में खसरा संख्या 206 का आकर एवं रकबा छोटा हैं लेकिन जमाबंदी में अधिक दर्ज हैं तथा 207 का आकार एवं रकबा बडा है लेंकिन जमाबंदी में कम दर्ज हैं। जो भू प्रबंध की त्रुटि से नक्शे में खसरा संख्या 206 व 207 आपस में गलत अंकित हो गये हैं। मौके पर सभी खातेदार रकबे अनुसार सही काबिज हैं। अतः दोनो खसरो के खसरा संख्या को आपस में परिवर्तित किया जाने की अनुशंषा के सहित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। विवादित भूमि खसरा नम्बर 207 के सहखातेदार द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में सहमति पत्र पेश हुआ हैं जो संलग्न किया गया।

बहस सुनी गई, बहस एवं तहसीलदार रायपुर के जबाव को अवलोकन के दौरान दिये गये तर्को पर गहनता पूर्वक मनन किया तथा पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि ग्राम मादेलाव पटवार हल्का रायपुर प्रथम भू. अभि. नि. क्षैत्र रायपुर, तहसील रायपुर के खसरा सं. 206 के स्थान पर खसरा संख्या 207 तथा खसरा सं. 207 के स्थान पर खसरा संख्या 206 संसोधन किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर ग्राम मादेलाव पटवार हल्का रायपुर प्रथम भू. अभि. नि. क्षैत्र रायपुर, तहसील रायपुर के खसरा सं. 206 के स्थान पर खसरा संख्या 207 तथा खसरा सं. 207 के स्थान पर खसरा संख्या 206 संसोधन पालनार्थ हेतु आदेश, तहरीर के साथ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(पूरण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 12:00:21 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर